न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/470
मुकदमा नम्बर 162/2024 दर्ज दिनांक– 07.10.2025

राजेन्द्र सिंह पुत्र छोटू सिंह जाति राजपूत निवासी बुगाला, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू हाल आबाद 18, गली नं. 1, न्यू इन्द्रा बस्ती, आमेर रोड, जल महल जयपुर

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 10. 09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला में भूमि खाता सं. नया 338 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1132 रकबा 0.21 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जमन सिंह पुत्र छोटू सिंह की जगह राजेन्द्र सिंह पुत्र छोटू सिंह दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार उजर एतराज जाहिर नही किया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला में भूमि खाता सं. नया 338 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1132 रकबा 0.21 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जमन सिंह पुत्र छोटू सिंह की जगह राजेन्द्र सिंह पुत्र छोटू सिंह, दुरूस्त किया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू